//आवश्यक सूचना//

1. ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने की तिथि तथा केवल कार्यक्रम का विज्ञापन ही एस.सी.ई आर.टी. के वेबसाइट **http://scert.cg.gov.in** में तथा छ.ग. राज्य के कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में ऑनलाइन आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के 3–4 दिवस पूर्व देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आबंटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश इस विवरणिका के साथ दिया गया है इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक कर लेवें।
2. आवश्यक दिशा निर्देश में ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने के लिए निर्धारित केन्द्रों की सूची भी दिया गया है।
3. पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आबंटन प्रक्रिया शुल्क 350/– चालान के माध्यम से ही लिया जायेगा। चालान का प्रारूप इस विवरणिका के साथ दिया गया है।
4. अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आबंटन की सूचना डाक द्वारा नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी आबंटन की जानकारी परिषद् के वेबसाइट **http://scert.cg.gov.in** में जाकर MKCL के साइट में जाने का लिंक का उपयोग कर MKCL के वेबसाइट में अपना विकल्प फार्म क्रमांक /प्री.बी.एड. रोल नम्बर Submit कर प्राप्त कर सकते हैं।
5. महाविद्यालय आबंटित होने के बाद अभ्यर्थी को अपने केन्द्र में जाकर अस्थाई सीट्स आबंटन पत्र (प्रवेश सूचना) केन्द्र समन्वयक के हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करने होंगे या MKCL के वेबसाइट oasis.mkcl.org/cgbed2014 में अपना विकल्प फार्म/प्री. बी.एड. का रोल नम्बर Submit कर आबंटन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर सकेंगे। आबंटन पत्र के बिना चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं देगा। परिषद् द्वारा प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को आबंटन पत्र नहीं दिये जायेगें। महाविद्यालय को भी चयनित अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रवेश देना होगा ऐसा नही करने पर महाविद्यालय को आगामी सूची में सीटे रिक्त रहने पर भी छात्र आबंटित नही किये जायेगे।
6. महाविद्यालय में प्रवेश के समय उम्मीदवार के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा, उसके उपरांत ही प्रवेश दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त में स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा। गलत भ्रामक जानकारी देकर प्रवेश लेने पर प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा जिसकी समस्त जवाबदारी अभ्यर्थी की है। महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा किसी अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने की स्थिति में एस.सी.ई.आर.टी. की शेष जवाबदारी भी होगी।
7. 30 सितम्बर 2014 के पश्चात् सत्र 2014–15 हेतु किसी भी प्रकार की प्रवेश प्रक्रिया नहीं की जावेगी।
8. राज्य के शासकीय/अनुदान प्राप्त शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश में सीटों का आरक्षण छ.ग. शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत किया जाता है। प्रवेश के समय छ.ग. शासन द्वारा लागू आरक्षण नियमों/निर्देशों के अंतर्गत प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
9. समय–समय पर संशोधित नियम एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट http://scert.cg.gov.in में देखे जा सकते है।
10. निजी व शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों का प्रवेश शुल्क शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा। इसकी जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट **http://scert.cg.gov.in** से प्राप्त कर सकते है।
11. राज्य के अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश में छ.ग. के SC/ST/OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को सीटों में आरक्षण छ.ग. के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक F9-02/2012/तक.शि./42 दिनांक 19 फरवरी 2013 के अनुसार दिया जायेगा।
12. ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में भाग लेने पर किसी अभ्यर्थी द्वारा सीट आबंटन हेतु दावा भी हो सकता है।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर